न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक0 /2018 निगरानी

बद्रीप्रसाद पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम पीलीघटा हाल निवास कैची बीड़ी खारखाना के पीछे वासखेड़ी जिला गुना म.प्र.

---- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

---- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्र.क. 257/निगरानी स्वमेव/2006—07 मे पारित आदेश दिनांक 30.01.2013 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 28.12.2017 से नकल प्राप्ती दिनांक 03.01.2018 से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थित इस प्रकार है। कि ग्राम पीलीघटा तहसील ईसागढ़ मे स्थित भूमि सर्वे क. 31 रकवा 2.913 हें. में से रकवा 0.662 हें. पर कब्जे के आधार पर पटटा ग्रहीता द्वारा नायव तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क. 135/1989—90/अ—19 पर पंजीवद्ध किया गया। आपत्ति

(29)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक एक/निग/अशो0/भू0रा0/18/1073

बद्री प्रसाद विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–03–18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । 2- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी सुनवाई हेतु ग्राहय करने का अनुरोध किया गया। अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश विधि अनुसार जारी किया गया है जिसे शासन हित में स्थिर रखा जाकर निगरानी अग्राहय करने का अनुरोध किया गया। 3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर भी विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.01.2013 की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन कर शूक्ष्मता से परीक्षण	

प्रकरण क्रमांक एक/निग/अशो0/भू0रा0/18/1073

बद्री प्रसाद विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में प्रकरण में उपस्थित समस्त पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत रूप से विवेचना की जाकर स्पष्ट एवं बोलता हुआ नीतिगत आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत विवेचना की गयी है ऐसी स्थिति में उसी विवेचना को पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उस पर विचार किया गया है। विचारोपरांत उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य